राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प ग्राम पंचायत लट्ठावाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 45/2014

1. रामचन्द्र पुत्र श्री तारूराम उर्फ ताराचन्द जाति नायक आयु करीब 54 वर्ष निवासी चक 2 डी.बी.एल. डबलीराठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जंक्शन।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री तारूराम उर्फ ताराचन्द जाति नायक निवासी चक 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती तीजा देवी पुत्री तारूराम उर्फ ताराचन्द पत्नी बेगराज पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी देवनगर 44 एन.डी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमती परमेश्वरी देवी पुत्री तारूराम उर्फ ताराचन्द पत्नी पूर्णराम पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमती मीरा देवी पुत्री तारूराम उर्फ ताराचन्द पत्नी रामचन्द पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी 26 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रीमती रेशमी देवी बेवा किशनाराम पुत्री तारूराम
6. तेजाराम पुत्र स्व. किशनाराम पुत्र तारूराम

   } जाति नायक निवासी 24 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

7. मानी देवी पुत्री किशनाराम पत्नी मोहनलाल पुत्र गणपतराम जाति नायक निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. श्रवण कुमार
9. इन्द्राज
10. देवीलाल
11. मनीराम
12. चिमनाराम

    } पिसरान किशनाराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी 24 एस.टी.जी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

13. बिमला पुत्री किशनाराम पत्नी जगदीश पुत्र चिमनाराम जाति नायक निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगराम पुत्र तारूराम उर्फ ताराचन्द जाति नायक निवासी 2 डी.बी.एल. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. कमला पुत्री जगराम पुत्र तारूराम, पत्नी जगदीश पुत्र श्रीचन्द जाति नायक निवासी लठांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. लालचन्द पुत्र जगराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी 2 डी.बी.एल. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. बाबूलाल पुत्र जगराम जाति नायक निवासी 9 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. राजू पुत्र जगराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी 2 डी.बी.एल. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. श्रीमती रूकन पुत्री पम्मी पुत्री जगराम, पत्नी बनवारीलाल जाति नायक निवासी मलकाना कला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
20. श्रीमती सोनु पुत्री पम्मी पुत्री बनवारीलाल जाति नायक निवासी मलकाना कला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
21. हरबंस पुत्र बनवारीलाल जाति नायक निवासी मलकाना कला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

22. श्रीमती ऊषा पुत्री जगराम पत्नी पृथ्वीराज पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक निवासी मलकाना कला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
23. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरबिनाए साक्ष्य हर किस्म।

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता	वादी
2.	श्री पूर्णचन्द्र घोड़ेला अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 ता 13, 15 ता 22
3.	श्री दुर्गा प्रसाद अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 14
4.	पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 23

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 17.05.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी का पिता स्व. तारूराम उर्फ ताराचन्द पुत्र गणपतराम नायक अपने जीवनकाल में 9 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करता था तथा माफी नाई का काम करता था। उसकों सरकार के द्वारा बतौर माफी नाई के चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगागनर के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा बतौर माफी नाई के अलाट की गई तथा वह अपने जीवन काल में माफी नाई का काम करते हुए उक्त भूमि को काश्त करता रहा।

राज्य सरकार के द्वारा सन् 1993 में माफीयों की सेवायें जिलाधीश श्रीगंगानगर के माध्यम से समाप्त कर दी गई तथा जिन—जिन को बतौर माफी नाई, माफी कोटवाल, माफी मन्दिर, माफी मस्जिद आदि के भूमि दी हुई थी, उनकी सेवायें समाप्त करने पर राज्य सरकार ने इन माफीदारों को ही भूमि का हकदार खातेदार होने का मान कर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। इसी प्रकार से वादी के पिता की माफी नाई की सेवाएं समाप्त होने पर उनको भी उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की गई। जिस रोज जिलाधीश ने सेवाएं समाप्त करने की घोषणा की उसी दिन से ही स्व. तारूराम उक्त भूमि का खातेदार बन गया।

तारूराम का देहान्त दिनांक 19.02.1994 को हो गया तथा उसके जायज वारिसान 1. किशनाराम, पुत्र 2. श्रीमती तीजा देवी, पुत्री 3. जगराम, पुत्र 4. ओमप्रकाश, पुत्र 5. श्रीमती परमेश्वरी पुत्री, 6. श्रीमती मीरा पुत्री, 7. रामचन्द (वादी) पुत्र जायज वारिसान हुए तथा वादी का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा हुआ।

तारूराम का मृत्यु प्रमाण—पत्र की नकल वारिस प्रमाण—पत्र की नकल शामिल दावा हाजा है। प्रतिवादी सख्या 1 चुस्त व चालाक होने तथा वादी के व मृतक तारूराम के अन्य वारिसान के बाहर रहने का अनुचित लाभ उठा कर कर्मचारीगण माल से साजिश करके मिली भगत करवाकर तारूराम को उक्त माफी नाई की 6 बीघा भूमि को अपने नाम से चुपचाप करवा लिया गया। जमाबन्दी की नकल शामिल है।

हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक तारूराम की उक्त खातेदारी भूमि के उसके उक्त 7 जायज वारिसान हुए इन में से किशनाराम व जगराम का

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

देहान्त हो चुका है तथा उनके वारिसान उनके हिस्सें के हकदारान है जो कि प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

इस प्रकार से मृतक किशनाराम का 1/7 हिस्सा के उसके वारिसान हकदार हुए तथा मृतक जगराम के हिस्सा 1/7 हिस्सा के उसके वारिसान हकदारान हुए।

प्रतिवादी संख्या 1 ने मिली भगत करके जो भी इन्द्राज इन्तकाल करवाए गए तथा जहां जहां जमाबन्दी में अपने अकेले के नाम से उक्त रकबा जो कि वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या 5/4 मु.नं. 55 के किला नम्बर 1 ता 6 की कुल 1.518 हैक्टर के रूप में दर्ज है के वास्तव में मृतक तारूराम के समस्त वारिसान ही हकदार होने से इन्द्राज इन्तकाल आदि समस्त ही विधि विरूद्ध होने के कारण शुरू से ही शून्य व वादी के 1/7 हिस्सा पर हर प्रकार से निष्प्रभाव है वादी अपने 1/7 हिस्सा की घोषणा करवाने समस्त इन्द्राज इन्तकाल जमाबन्दी जो कि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है को शून्य घोषित करवाने अपने अधिकारों पर बेअसर कराकर दिलाने के साथ–साथ उक्त 6 बीघा का खाता विभाजन करवाकर कब्जा पाने तथा अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को गलत रिकार्ड के आधार पर जब मुन्तकिल करने की कोशिश में है अगर वह इसमें सफल हो गया जैसा कि लोगों से बातचीत कर रहा है तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वादी डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार से माफी नाई का काम नही करता रहा ना ही उसके नाम से इस आधार भूमि लगाई जा सकती थी। बल्कि ताराचन्द ही काम करता रहा।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त रकबा को जमाबन्दी 2019–22 में दर्ज किया गया है उसमें भी काश्त ताराचन्द पुत्र गणपतराम ही दर्ज है। अतः किसी प्रकार से ओमप्रकाश का कब्जा ही नही रहा है तथा तारूराम काश्त करता रहा उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान का कब्जा मुश्तरका चला आया।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ जाने के कारण ही उसने चुप गलत तौर से अपने नाम से रकबा दर्ज करवाया गया। जब कि वह अकेला तारूराम का वारिस व हकदार नही था ना ही कानुनन हो सकता है। ता जिन्दगी तारूराम ने बतौर माफी नाई काश्त की। अतः उसके देहान्त के बाद उसके उक्त 7 वारिसान ही कदार कानुनन होते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से बार बार आग्रह किया गया कि वह उक्त 6 बीघा में वादी को मृतक तारूराम का वारिस होने से 1/7 हिस्सा का हकदार मान लेवे व अपने नाम से जो इन्तकाल इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाए है जिस के आधार पर करवाए है को भी शुरू से शून्य मान कर वादी के अधिकारों पर बेअसर मान लेवे तथा उक्त खाता की भूमि का विभाजन करवाकर कब्जा संभाल देवे तथा वादी के हिस्सा में मदाखलत करने मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 20.04.2014 को साफ इन्कारी है अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है अतः दावा वादी काबिल समाअत अदालत वाला है उचित न्याय शुल्क पर इन्कारी से बिना देरी पेश है।

अतः वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि चक 7 क्यू. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 5/4 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 6 कुल 6 बीघा जो कि वादी के पिता तारूराम का माफी नाई अलाट था के देहान्त के बाद 7 वारिसान होने से वादी का 1/7 हिस्सा बनता है खातेदार हकदार है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

(ख) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने जो रिकार्ड बनाकर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल इन्द्राज करवाए है वह शुरू से शून्य व वादी के अधिकारों पर बेअसर है।

(ग) उक्त खाता का विभाजन करवाया जाकर वादी को 1/7 हिस्सा दिलाने कब्जा दिलाने का आदेश फरमाया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें।

(घ) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ड) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में दिया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया विधिवत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 22 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये बार–बार जबाब हेतु समय दिसे जानें पर भी जबाब नहीं दिये जानें के कारण दिनांक 09.02.2017 को जबाब बन्द किया गया।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बननी पाई जानें पर वादी के साक्ष्य लिये गये वादी द्वारा अपना शपथ पत्र तथा गवाहन के रूप में देवीलाल पुत्र मिड्डुराम जाति नायक के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। शपथ पत्र में वाद में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया गया।

वादी के विद्धान अधिवक्ता की बहस को सुना गया वादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी जो वादी एवम् प्रतिवादी के पिता की माफी भूमि थी में से वादी को 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो भूमि आई है उसके सम्बंध में यदि नामान्तरण गल्त दर्ज हुआ है तो वादी को सम्बंधित नामान्तरकरण की अपील की जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था इस कारण वाद वादी पोषणीय नहीं पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में अपनें पिता के नाम से दर्ज भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है के सन्दर्भ में चाहा गया अनुतोष सम्बंधित नामान्तरकरण कि अपील प्रस्तुत कर नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता था। इस कारण वादी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत लट्ठावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर